न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी: नीरज कुमार मीना, आर0ए0एस0)

...: संख्या : 20/2025 (रिव्यू प्रार्थना पत्र)

...म्भरदयाल एण्ड कम्पनी करौली जरिये विशम्भरदयाल पुत्र कल्याणसिंह जाति वैश्य निवासी ...डौन गेट बाहर करौली राज0

प्रार्थी

बनाम

1. मौहरसिंह पुत्र रामसिंह
2. न्वलसिंह पुत्र प्रतापसिंह
3. रामअवतार पुत्र प्रतापसिंह
4. लोकेश पुत्र प्रतापसिंह
5. सुमित्रा पत्नी स्व0 रामकिशन
6. दिनेश पुत्र स्व0 रामकिशन
7. अरविन्द पुत्र स्व0 रामकिशन
8. इन्द्रवती पुत्री स्व0 रामकिशन
9. पुष्पा पुत्री स्व0 रामकिशन
10. संजू पुत्री स्व0 रामकिशन
11. तहसीलदार तहसील रूपवास

जाति कुशवाह निवासी नगला भोला सिरोद तहसील रूपवास जिला भरतपुर।

12. सरपंच ग्राम पंचायत महलपुर चूरा तहसील रूपवास जिला भरतपुर।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 41रूल 19 बाबत् पुनः नम्बर पर लेने अपील ब उनवानी विशम्भरदयाल बनाम मौहरसिंह मु0न0 44/2023 निर्णय दिनांक 07.11.2024 को अदम हाजिरी एवं अदम पैरवी में खारिज बाबत्!

उपस्थित :

1. श्री पंकज कुमार अभिभाषक प्रार्थी
2. श्री ललता प्रसाद अभिभाषक अप्रार्थी

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

निर्णय

दिनांक 22.05.2026

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र 41 रूल 19 जा0दी0 विरूद्ध वमुकदमा निर्णय दिनांक 07.11.2024 प्रकरण संख्या 44/2023 विशम्भरदयाल बनाम मौहरसिंह अपील में अपीलांट की अनुपस्थिति में हुये निर्णय से व्यथित होकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पो. को तलब किया गया। अप्रार्थी द्वारा जबाब प्रस्तुत किया संलग्न पत्रावली है।

अभिभाषक प्रार्थी एवं अप्रार्थी की बहस सुनी गयी।

अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के संदर्भ में कथन किया है कि प्रार्थी के अभिभाषक ने प्रार्थी को हर तारीख पेशी पर नही आने और प्रकरण के बारे में स्वंय जानकारी देने के लिए कहा था इसी कारण अपीलांट हर तारीख पर न्यायालय में उपस्थित नही हो सका और नियत तारीख पेशी पैरोकारी पर स्वंय उपस्थित नही और न ही अभिभाषक उपस्थित हुये जिस पर दिनांक 07.11.2024 को न्यायालय ने दोनों पक्षों की अनुपस्थिति में खारिज कर दिया गया। उक्त आदेश से प्रार्थी के हितो पर विपरीत असर पड रहा है प्रार्थी न्याय से महरूम हो जायेगया व प्रार्थी भविष्य में अपने प्रकरण की पैरवी पूरी सावधानी और तत्परता से करेगा। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर प्रकरण को पुनः नम्बर पर लिये जाने का निवेदन किया गया है।

अभिभाषक रैस्पोडेन्ट ने दौराने बहस कथन किया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मैन्टेबिल नही है क्योंकि प्रकरण अपील को अदम हाजिरी एवं अदम पैरवी में खारिज की गई है। समस्त रेस्पोडेन्टान रिकार्डेड खातेदार एवं काश्तकार है तथा मौके पर काबिज है। इसलिए विवादित आराजी पर प्रार्थी/अपीलांट का कोई लेना देना नही है। अपीलांट द्वारा बेबजह ही अपील प्रस्तुत की गई है जो काबिल निरस्ती है। प्रार्थना पत्र मे विवादित आरजी में अपील की गई है उसका कोई हवाला नही दिया गया है तथा प्रार्थना पत्र धारा 5 म्याद अधिनियम में म्याद को कण्डोन किये जाने का समुचित कारण उल्लेखित नही किया गया है। अतः अपीलांट का प्रार्थना पत्र म्याद के आधार पर खारिज फरमाया जावें।

हमने वकील उभयपक्ष की बहस तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जबाबो का ससम्मान अवलोकन किया गया । म्याद के बिन्दु विभिन्न न्यायिक दृष्टांतो के मद्देनजर रखते हुये प्रार्थना पत्र पर विचार कर निर्णय किया जाना उचित पाते है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुतीकरण में हुई देरी के संदर्भ में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा–5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में निर्णय दिनांक 07.11.2024 के सबंध में अवलोकन करने पर पाया कि

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

र्थी व वकील प्रार्थी अनुपस्थित रहे जिस कारण प्रकरण का अदम हाजिरी एवं अदम पैरवी में निर्णय पारित किया गया था। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में स्पष्ट किया है कि वह अभिभाषक के कहने पर पैरवी हेतु उपस्थित नही हो पाया। अभिभाषक अप्रार्थी ने कथन किया है कि न ही अपीलांट विवादित आराजी से कोई हित रखता है और प्रार्थी ने आसाधारण विलम्ब से प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जिसमे म्याद को कण्डोन करने का समुचित कारण नही दर्शाया गया है और ऐसी स्थिति में यदि अपील म्याद के सबंध में कोस्ट अदायगी कर दे तो प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने पर कोई आपत्ति नही है। प्रार्थी को अपना पक्ष रखना उसका मौलिक अधिकार है, उससे वंचित रखा जाना न्याय के सिद्वान्तों के विरूद्व है। जिससे उसके हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पडा सकता है। उक्त प्रकरण में प्रार्थी को प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के अनुरूप सुनवाई का अवसर दिया जाना उचित पाते है। हमारी राय में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 41 नियम 19 जा0दी0 को 200/– (दो सौ रूपये) कोस्ट अदायगी पर स्वीकार किये जाने योग्य पाते है।

अतः आज्ञा है कि:–

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 41 नियम 19 जा0दी0 स्वीकार किया जाता है तथा दिनांक 07.11.2024 की आज्ञा को निरस्त किया जाकर पुनः सुनवाई का अवसर दिया जाता है। मूल पत्रावली जिला अभिलेखागार से तलब होकर आयंदा दिनांक 05.06.2026 को पेश हो। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार की जावे।

निर्णय आज दिनांक 22.5.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

(घनश्याम शर्मा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
भरतपुर